

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 168/2019

बैंक ऑफ बडौदा

शाखा- देव प्लाजा हरिभाउ नगर, पुष्कर रोड, अजमेर (राज.)

जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री विजय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सिंह

पता:- प्लॉट नं0 13, स्कीम नं0 1, नागाबाई, आनन्दपुरी, थोक मालियान,  
अजमेर (राज.)

..... अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्चुराईटेशन रिक्सट्रक्शन  
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्चुरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री भानु प्रकाश मिश्रा :-

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 24.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री विजय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सिंह पता:- प्लॉट नं0 13, स्कीम नं0 1, नागाबाई, आनन्दपुरी, थोक मालियान, अजमेर (राज.) को दिनांक 30.04.2014 व 17.12.2014 रु. 6,50,000/- (अक्षरे छः लाख पचास हजार मात्र) व रु. 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख मात्र) कुल ऋण रु. 9,50,000/- (अक्षरे नौ लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थी ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर स्कीम नं0 1, नागाबाई, आनन्दपुरी, थोक मालियान, अजमेर (राज.) स्थित खसरा नं0 7368, 7379, 7445 का हिस्सा, प्लॉट नं0 13 जिसका क्षेत्रफल 111.97 वर्गज है, जो श्री विजय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सिंह के नाम से है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व में- रोड, पश्चिम में-प्लॉट नं0 14, उत्तर में-श्री प्रेम सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण में-श्री टीकमदास की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 5,40,672.18/- (अक्षरे रुपये पांच लाख चालीस हजार छः सौ बहत्तर एवं अठारह पैसे मात्र) व रुपये 2,41,992/- (अक्षरे रुपये दो लाख इकतालीस हजार नौ सौ बानवे मात्र) कुल ऋण रुपये 7,82,664.18/- (अक्षरे रुपये सात लाख बयासी हजार छः सौ चौसठ एवं अठारह पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।



*[Signature]*

जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष बंधक सम्पत्ति स्कीम नं0 1, नागाबाई, आनन्दपुरी, थोक मालियान, अजमेर (राज.) स्थित खसरा नं.0 7368, 7379, 7445 का हिस्सा, प्लॉट नं0 13 जिसका क्षेत्रफल 111.97 वर्गगज है, जो श्री विजय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सिंह के नाम से है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार है:- पूर्व में- रोड, पश्चिम में-प्लॉट नं0 14, उत्तर में-श्री प्रेम सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण में-श्री टीकमदास की सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 24.10.2019 को सुनाया गया।



*Shiv Mohan Sharma*  
( विश्व मोहन शर्मा )  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

